कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 02.03.2026

"अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया गौतस्कर, यह मुठभेड़ पुलिस की सतर्कता का प्रमाण है।" कानून के डर से अब अपराधी पनाह मांग रहे हैं।"

"सड़क पर शांति और कानून का राज कायम रखने के लिए, पुलिस का साहसी/सराहनीय कार्य के क्रम में थाना सुरियावां पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कब्जे से गौ मांस, एक अदद चापड़, एक अदद सेन्ट्रो कार, एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक-01.03.2026 को थाना सुरियावां पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बैरीपरवा में गोकशी की सूचना प्राप्त हुई है एवं मौके पर गोकशी करने वालों को जनता के लोगों द्वारा घेर लिया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की धर पकड़ के दौरान एक व्यक्ति राजकुमार सरोज उर्फ बड़कू पुत्र किशोरी लाल सरोज निवासी अमिलहरा थाना सुरियावां जनपद भदोही व दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात मौके से भाग गये। एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया। पूछने पर अपना नाम विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरिपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही बताया। जिसकी पुष्टी जनता के लोगों द्वारा की गयी। पकड़े गये व्यक्ति से खेतों मे फेके मृत गोवंश को दिखाने हेतु कहा गया। गिरफ्तार आरोपी द्वारा एक उप निरीक्षक को जोरदार धक्का देकर गिरा दिया और उबड़ खाबड़ रास्ते का लाभ पाकर खेतो से होता हुआ मौके से भाग गया जिसका पीछा किया किन्तु नही मिला। मौजूद वाहन हुण्डई सेन्ट्रो कार की नियमानुसार तलाशी की गयी तो वाहन की डिग्गी में गोवंश सांड का सिर व एक अदद आलाकत्ल चापड़ बरामद हुआ तत्पश्चात आस पास घुम टहल कर देखा गया तो नहर के किनारे खेतों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर गोवंश का धड़, चमड़ा, रक्त, हड्डी के टूकड़े मिले। अभियुक्तों के मिलने के सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण:-

श्री अभिमन्यु मांगलिक , पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्री शुभम अग्रवाल , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 01.03.2026 को समय 18:00 बजे थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत थाना सुरियावां पुलिस टीम द्वारा गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर सर्विलांस की सहायता से अभियुक्त का लोकेशन प्राप्त कर औचक दबिश के दौरान पर ग्राम मतेथू तिराहे से कलिंजरा रोड पर प्राथमिक विद्यालक के पास स्थित बगीचे से पुलिस मुठभेड़ में थाना गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्त विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरीपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्तों के अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के कब्जे से गौ मांस, एक अदद चापड़, एक अदद सेन्ट्रो कार, एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने इरादे से तमंचे से फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान अभियुक्त विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरीपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही के पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावां भेजा गया है। जहां घायल अभियुक्त की स्थिति सामान्य है। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0- 57/2026 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुरियावां जनपद भदोही अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये व्यक्ति विजय गौतम से भागे हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताया कि मैं भागे हुए व्यक्तियों मे से एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम राजकुमार सरोज उर्फ बड़कू पुत्र किशोरी लाल सरोज निवासी अमिलहरा थाना सुरियावां जनपद भदोही है शेष दो व्यक्तियों का नाम राजकुमार सरोज ही जानता है मैं और राजकुमार सरोज हम दोनों ने कल एक अवारा छुट्टा सांड रात मे खेत मे चरते हुए पकड़ लिया था इस पर राजकुमार सरोज ने मुझसे कहा कि मैं कुछ व्यक्तियों को जानता हूँ जो गाय व बैल के मांस को खरीदते तथा बध करते है यदि हम इस सांड को उन्हे दे दें तो हमे अच्छा मुनाफा होगा। इस पर मैं व राजकुमार हम दोनो नें सांड को हाककर रात में नहर के किनारे बैर के पेड़ के निचे बांध दिये और राजकुमार ने मुझसे कहा मैंने खरीददार को सूचना दे दी है। दो ढ़ाई घण्टे बाद दो व्यक्ति सफेद सेन्ट्रो कार से आये जिनका नाम पता मैं नही जानता और हम चारो ने मिलकर सांड को रात मे ही वध कर दिया और काट कर मांस बोरे मे भरे। तब तक सुबह हो गयी और गांव के लोग आने जाने लगे तब हमने अपने बचाव में सांड के धड़, चमड़ा व अन्य शरीर के टूकड़ों को छुपाने के उद्देश्य से खेतों मे इधर-उधर छिपा दिये एवं जानवर की पहचान न हो सके इस लिए सिर को सेन्ट्रो कार गाड़ी मे रख कर भागने के फिराक मे थे कि गांव वालों ने हमे सांड का सिर गाड़ी मे रखते हुए देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी तब तक आप लोग आ गये। इस दौरान मेरे तीनों साथी मौके से भाग निकले लेकिन मुझे आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता:-

विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरिपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही

फरार/वांछित अभियुक्तों का नाम एवं पता:-

1.राजकुमार सरोज उर्फ बड़कू पुत्र किशोरी लाल सरोज निवासी अमिलहरा थाना सुरियावां जनपद भदोही ,पूर्व आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0-42/2020 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 थाना सुरियावां जनपद भदोही

2. अज्ञात

3. अज्ञात

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 57/2026 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुरियावां जनपद भदोही

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष मनीष द्विवेदी उ0नि0 धीरज यादव, उ0नि0 संजय सिंह, का0 चन्दन गौड़, का0 विकास यादव, म0का0 रीमा यादव एवं हे0का0 हैदर अली थाना सुरियावां जनपद भदोही।

उत्तर प्रदेश पुलिस